R.C. प्रपत्र 25 नियम 85 (1) रा0सं0 नियमावली 2016

नाम ग्राम	काश्तकार का पूरा नाम व मूल निवास	खाता खतौनी संख्या	खेत का क्षेत्रफल	लगान	अकृषिक भूमि का पूरा क्षेत्रफल		अकृषिक उपयोग का पूरा विवरण	टिप्पणी
					आराजी नम्बर अ	क्षेत्रफल नम्बर ब		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बरैला	शैलेन्द्र कुमार दुबे पुत्र जवाहर प्रसाद दुबे निवासी- चोपन -तह० ओबरा- सोनभद्र	27	1.9060	29.20	5 मि०	1.214 हे०	महोदय, आवेदक शैलेन्द्र कुमार दुबे पुत्र जवाहर प्रसाद दुबे ट्रस्टी शुभदर्शी मेमोरियल ट्रस्ट चोपन-सोनभद्र ने ग्राम- बरैला- परगना- बड़हर तहसील- राबर्ट्सगंज जिला- सोनभद्र की आ०नं० 5 मि० रकबा 1.9060 हे० क्रय किया है। जिसमें 1.214 हे० भूमि में बाउन्ड्री बना है। दो कमरा 10x10 वर्ग फुट टीन लगाकर बना है। बोरिंग नहीं है। ऊसर है। भूमि किसी अकृषिक उपयोग में लायी जा रही है। आवेदक भूमि को अकृषिक घोषित कराना चाहता है। भूमि का सरकारी सर्किल रेट 14 लाख/हे० की दर से 1.214 x 14 लाख = 1699000 रुपये है जिसका 1% 16990=00 होता है अतः आ०नं० 5 मि० रकबा 1.214 हे० को अकृषिक करने हेतु संस्तुति सहित रिपोर्ट प्रेषित।

महोदय, क्षेत्रीय लेखपाल की आख्यानुसार ग्राम - बरैला पर- बड़हर तह०-रा०गंज सोनभद्र की आ०नं० 5 मि० रकबा 1.2140 हेक्टेयर शैलेन्द्र कुमार दुबे पु० जवाहर प्रसाद दुबे ट्रस्टी शुभदर्शी मेमोरियल ट्रस्ट चोपन के नाम संक्रमणीय भूमिधर दर्ज है। उक्त रकबे में से रकबा 1.2140 हे० चहारदीवारी से घिरा तथा ओटोरूम बना हुआ है मौके पर परती/कृषि कार्य के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा है।

अतः आख्या उ०प्र० रा०सं० -2006 की धारा-80 के अन्तर्गत उद्घोषणा शुल्क व सीमांकन शुल्क कुल रु०- 17990=00 (सत्रह हजार नौ सौ नब्बे) रुपये सहित भूमि के भिन्न प्रयोग करने हेतु सेवा में सादर प्रेषित।

11-04-21
RKO

महोदय,
रा०नि० की आख्यानुसार संस्तुति सहित सम्प्रेषित।

13/04/21
Tah(R)